फर्द अहकाम
(नियम–26)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

GCMS:- 2022/220

वाद–पत्र संख्या : 194/2022 अनवान् : सतनाम सिंह बनाम् प्रेम कुमार व अन्य दायरा दिनांक : 20/07/2022

(वाद–पत्र अंतर्गत धारा–89, 188, 183, 92ए, 207 आर.टी. एक्ट सपठित धारा–136 भू0 राजस्व अधि0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 24.12.2024 | पत्रावली वास्ते प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। वादी और प्रतिवादी के अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी नं. 3 व 4 के अभिभाषक उपस्थित। इस वाद–पत्र में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त विचारण तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा–89, 188, 183, 92क व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत यह कथन कर प्रस्तुत किया है कि उनकी काश्तकारी खातेदारी भूमि वाके चक 1 एन.डी.आर. मु. नं. 80/317 के किला नम्बर 6 ता 13 तादादी 1.7500 है0 व मु. नं. 79/317 किला नम्बर 18/2 की 0.1270 है0 जो रिकार्ड में आज भी वादी के नाम से दर्ज है उसके विक्रय–पत्र वादी ने किसी को भी नहीं करवाये हैं। इस भूमि के कथित प्रतिवादी सं. 1 व 2 और इनसे आगे प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा अपने नाम से पंजीबद्ध करवाये हुए हस्तान्तरण–पत्र/बैयनामे फर्जी व कूटरचित है। इन कूटरचित पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण द्वारा जमाबंदीयों में प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम से अंकन करवाया गया है। वादी ने इस भूमि की बतौर घोषणा करने व पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्रों में अंकित प्रश्नगत कथित भूमि के बैयनामों व नामान्तरकरणों को शून्य घोषित किये जाने की घोषणा व प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप ना करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 3 व 4 द्वारा उपस्थित आकर एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि चक 1 एन.आर.डी. मु. नं. 80/317 किला नम्बर 6 ता 13 तादादी 1.7500 है0 व मु. नं. 79/317 की किला नं. 18/1 की 0.089 है0 कमांड प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। जो प्रार्थीगण ने पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामों के द्वारा खरीद की हुई है। मौके पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा खरीद की दिनांक से लेकर चला आ रहा है। धारा–188 आर.टी. एक्ट के वाद हेतु कब्जा व अंकित खातेदार होना आवश्यक है। इसके अभाव में वाद चलने योग्य प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। विक्रय–पत्र को शून्य घोषित करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। विक्रय–पत्र शून्य घोषित करने का अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता। वादी को प्रार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है इसलिये वाद वादी आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद–पत्र क्षेत्राधिकार विहीन व बिना वाद कारण का प्रस्तुत होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना–पत्र का जवाब आने के बाद बहस पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] एन.आर.डी. के मु. नं. 80/317 किला नम्बर 6 ता 13/[illegible] है0 [illegible] पत्थर नं. 79/317 किला नं. 18/2 की 0.089 हैक्टयर प्रार्थीगण [illegible] प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह [illegible] वादी द्वारा पहले प्रतिवादी नं. 1 व 2 को पंजीबद्ध विक्रय–पत्रों द्वारा विक्रय की गई थी जिन्होंने यह भूमि आगे प्रतिवादी नं. 3 व 4 को पंजीबद्ध विक्रय–पत्रों द्वारा विक्रय किया गया और विक्रय–पत्रों अनुसार भूमि प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं. 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई जिसके प्रार्थीगण अंकित खातेदार व काबिज चले आ रहे हैं। घोषणा का वाद लाने के लिये मौका पर कब्जा होना आवश्यक है जबकि स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत | लगातार 2 ... |

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:40 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>वाद–पत्र संख्या : 194/2022 अनवान् : सतनाम सिंह बनाम् प्रेम कुमार व अन्य |
|---|---|
| 24.12.2024 | बैयनामों व जमाबन्दी की नकल के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम से जैरवाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है। धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति का कब्जा होना व अंकित काश्तकार होना आवश्यक है। पंजीबद्ध विक्रय–पत्रों को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में पंजीबद्ध दस्तावेजों को कूटरचित व फर्जी बताते हुए चाहा गया है। वादी के कथनानुसार यह शून्य करणीय की परिभाषा में आता है। जो अनुतोष चाहा गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिसीमा से बाहर का अनुतोष है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं. 3 व 4 ने बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RRT 2002(2) Page 752 HC, RRT 2010(1) Page 124, DNJ 2018(3) Page 1170 HC, RRD 1974 Page 205, RRD 1996 Page 218, RRD 2012 Page 500, DNJ 2003 Page 107 SC, DNJ 2018(2) Page 421 को प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।<br><br>विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए और वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 व 2 उपस्थित नहीं आये है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं. 3 व 4 पश्चातवर्ती क्रेता है जो उपस्थित हुए है। इनके नाम से पंजीकृत दस्तावेजों को शून्य करने की घोषणा नहीं चाही है। वादी/अप्रार्थी ने हस्तान्तरण–पत्रों को करवाया ही नहीं है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में वाद कारण स्पष्ट अंकित किया है। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने अपना जवाबदावा पेश नहीं किया है, बिना जवाबदावा पेश किये प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र लाने के अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है। वाद–पत्र अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। समस्त वाद–पत्र इस स्तर पर बिना जवाबदावा आये व साक्ष्य लिये निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन है। उनके द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RRD 2012 Page 533, RRT 2023(2) Page 1032, DNJ 2015(4) Page 1602, RRT 2015(2) Page 1396, RRT 2015 (Part-II) Page 1269, RRT 2023(I) Page 356, 352, RRT 2014(4) Page 101 प्रस्तुत किये गये और प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।<br><br>विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने के पश्चात सम्पूर्ण पत्रावली का बहस के परिपेक्ष्य में पठन व मनन करने के साथ–साथ प्रस्तुत न्याय निर्णयों का भी अवलोकन करने के उपरान्त मेरे समक्ष संक्षिप्त रुप से यह विचारण बिन्दु इस स्तर पर बनता है कि आया पंजीबद्ध हस्तानान्तरण पत्रों को शून्य घोषित किये बिना क्या वाद–पत्र में अनुतोष प्रदान किया जा सकता है और क्या राजस्व न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध विक्रय–पत्रों को शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या बिना वाद कारण वाद वादी चलने योग्य है। इसको वादी/अप्रार्थी द्वारा इस स्तर पर सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अंकित काश्तकार के विरूद्ध क्या निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–188 के अधीन प्रदान की जा सकती है। इस दृष्टि में विचारण करने पर यह स्पष्ट है कि धारा–188 आर.टी. एक्ट का वाद–पत्र केवल मात्र अंकित काश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा कोई न्यायालय वादी/अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे विचार से धारा–188 का वाद–पत्र केवल मात्र अंकित काश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिवादी नं. 3 व 4 की स्वयं वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बैयनामों व जमाबन्दी की नकलों में अंकित काश्तकार प्रार्थीगण हैं। उनके विरूद्ध धारा–188 आर.टी. एक्ट का वाद प्रस्तुत नहीं किया |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:11:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>वाद–पत्र संख्या : 194/2022 अनवान् : सतनाम सिंह बनाम् प्रेम कुमार व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.12.2024 | जा सकता। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपना वाद–पत्र धारा–183 आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत किया है जिसका अर्थ यह है कि उनका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं है। जब ना तो वादी अंकित काश्तकार है ना ही उसका कब्जा दस्तावेज से साबित है वह स्वयं के वाद–पत्र में धारा–183 आरटी एक्ट का अनुतोष मांग रहा है तब वादी का कब्जा ना होना प्रथम दृष्टया वाद कथनों और उसके स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्ध होता है। जहां तक घोषणा एवं विक्रय पत्र अवैध और शून्य घोषित किये जाने की घोषणा का प्रश्न है इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय प्रकाशित DNJ 2018 (2), RAJ. Page 421 HC, DNJ 2018(3) Raj 1170 HC, RRT 2002(2) Page 752 इस प्रकरण में पूर्ण तथा प्रभावशाली रुप से लागू होना प्रतीत होते है। जिनमें यह माना गया है कि विक्रय–पत्र को शून्य करार देने का अधिकार केवल मात्र व्यवहार न्यायालय को ही है। मेरे विचार से इस अनुतोष को पूर्व में प्रदान किये बिना अन्य अनुतोष वादी को नहीं दिये जा सकते। मुख्य अनुतोष विक्रय पत्र को शून्य व निरस्त घोषित करने का है जो व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत आता है। इस विषय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णयों में दिये गये न्याय निर्देश मानने योग्य होने एवं इस प्रकरण में प्रभावकारी है। माननीय विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादी द्वारा दिये गये न्याय निर्णयों में मात्र एक न्याय निर्णय RRT 2014 (4) Page 101 इससे संबंधित प्रतीत होता है जिसमें खातेदारी अधिकार की घोषणा पूर्व अनुतोष व विक्रय–पत्र को बाद का अनुतोष मानकर बाद सुनवाई योग्य राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना गया है किन्तु यह न्याय निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंकित न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत है व मेरे विचार से पहले पंजीबद्ध हस्तान्तरण पत्रों को Void घोषित किये बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा की ही नहीं जा सकती इसलिये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के अनुसरण में मेरा मानना है कि पंजीबद्ध हस्तान्तरण–पत्रों को Void की घोषणा किये बिना वर्तमान इस वाद–पत्र में अनुतोष नहीं दिये जा सकते। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRT 2010(1) Page 124 में प्रकाशित में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होना नहीं पाया जाता है। जहां तक जवाबदावा पेश किये बिना प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 के तहत स्वीकार नहीं किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा DNJ 2003 Page 107 पर प्रकाशित में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जवाबदावा के बिना भी वाद निरस्त के प्रार्थना–पत्र का निर्णय किया जा सकता है। इस आधार पर मुख्य अनुतोष इस न्यायालय द्वारा देय ना होने से यह मामला व्यवहार न्यायालय का बनता है व इस स्तर पर क्षेत्राधिकार विहीन होने व कब्जा भूमि वाद अनुतोष मांग अनुसार ना होने के आधार पर वाद वादी क्षेत्राधिकार विहीन होने से आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत Barred by Law होने से निरस्त किये जाने योग्य है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर वाद वादी Barred by Law और क्षेत्राधिकार विहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसकी पालना में अलग से डिक्री की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।<br><br>आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:40 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सन्दीप काकड़, आर.ए.एस.**

---

**अनवान :–**

सतनाम सिंह पुत्र श्री बंजार सिंह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**–वादी**

**बनाम**

1– प्रेम कुमार पुत्र श्री जयनारायण जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2– सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयनारायण जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3– विद्या देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4– गुड्डी देवी पत्नी श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5– राजस्थान राज्य–सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़।
6– उपपंजीयक तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**–प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा–89, 188, 183, 92क, 207 आर.टी.ए. सपठित धारा–136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम मुकदमा नं. 194/2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषकगण वादी श्री श्यामदीन, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 4 श्री राकेश कुमार मनचन्दा व प्रदीप कुमार एवं पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी Barred by Law एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से प्रतिवादी सं. 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किये जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 24.12.24 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)